जनसम्पर्क कार्यालयः मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर

समाचार

विद्युत मण्डल के कार्मिकों को उत्तरवर्ती कम्पनियों में ट्रांसफर करने के आदेश जारी

जबलपुर, 1 दिसम्बर। राज्य शासन ने मध्य प्रदेश विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम–2003 एवं 2006 तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 133 के अनुसरण में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के कार्मिकों को उत्तरवर्ती कम्पनियों में, यथा मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र/मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश पॉवर ट्रेडिंग कम्पनी में अन्तरण (ट्रांसफर) करने हेतु आदेश जारी कर दिया गया है। उक्त आदेश, राज्य शासन के असाधारण राजपत्र क्रमांक 615 दिनांक 30 नवम्बर 2010 के तहत जारी किया गया है।

कार्मिको के अन्तरण करने हेतु मुख्य शर्तें इस प्रकार हैंः

- आदेश की तारीख को उपरोक्त 6 कम्पनियों में कार्य कर रहे कार्मिकों की सेवायें उस कम्पनी में जहां कर्मी कार्यरत हैं के अंनतिम (प्रोविज़नल) आधार पर अन्तरित हो गयी हैं।
- जेनको कम्पनी के उन कार्मिकों को जो कि जनरेशन केडर से संबंधित हैं लेकिन जनरेशन कम्पनी के बाहर अन्य कम्पनियों में अथवा विभागों में कार्यरत हैं, (ऐसे कार्मिकों की संख्या 60 हैं) को भी अंनतिम रूप से जेनको को अन्तरित किया गया है।
- ऐसे कार्यालयों/स्थापनाओं में कार्य कर रहे कार्मिकों को जो कि मण्डल में सामान्य सेवाएं (कॉमन सर्विस) प्रदान कर रहे हैं, यथा (संचा./संधा.), क्रय विभाग तथा कम्प्युटर विभाग के कार्यालय में कार्यरत सभी कार्मिकों को म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. में अंनतिम रूप से अन्तरित किया गया है।
- इसी प्रकार निदेशक (वित्त), जबलपुर तथा उनके अधीन अन्य कार्यालय, विद्युत मण्डल का जबलपुर स्थित अस्पताल, वाहन शाखा तथा अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)–मुख्यालय, निदेशक (सतर्कता एवं सुरक्षा) विभाग केन्द्रीय खेल एवं सांस्कृतिक समिति, भोपाल स्थित मण्डल का सम्पर्क कार्यालय एवं स्थानिक (रेसीडेन्ट) अभियन्ता कार्यालय, नई दिल्ली के कार्यालय में कार्यरत सभी कार्मिकों को अंनतिम रूप से पॉवर ट्रेडिंग कम्पनी में अन्तरित किया गया है।
- भार प्रेषण में कार्यरत सभी कार्मिकों को ट्रांसमिशन कम्पनी तथा सिविल वृत्त, मण्डलेश्वर में कार्यरत सभी कार्मिकों को जनरेशन कम्पनी में अंतरिम रूप से अंनतिम किया गया है।

- मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के कार्मिक विभाग जिनमें, औद्योगिक संबंध अधिकारी, जन सम्पर्क अधिकारी, वरिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय भी सम्मिलित हैं, के कार्मिकों को किसी एक कम्पनी में अन्तरित करने के बजाए उन्हें जबलपुर स्थित 4 कम्पनियों में बांटा जायेगा जिसके लिये विहित प्रारूप में, कार्मिकों से विकल्प मांगे गये हैं।

- अंनतिम आधार पर अन्तरित होते हुए भी मण्डल किसी भी कार्मिक को, अन्य कम्पनी अथवा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने का निर्देश दे सकेगा।

- राज्य शासन के आगामी आदेश तक मण्डल के सभी कार्मिकों जिनका अन्तरण किया गया है, की सेवा संबंधित मामलों पर जिसमें पदोन्नति भी हैं, मण्डल कार्यवाही करता रहेगा।

- कार्मिकों का उनके अंनतिम अन्तरण से संबंधित मामलों पर, उक्त आदेश के 45 दिवस के भीतर विहित प्रारूप में अपना अभ्यावेदन, मण्डल के सचिव को प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। इन अभ्यावेदनों के निपटारे हेतु राज्य शासन द्वारा एक शीर्ष समिति का गठन किया गया है एवं उसकी सहायता के लिये एक कार्यकारिणी समिति का भी गठन किया गया है।

- कार्मिकों के अभ्यावेदनों की सुनवाई के लिये, यदि कार्मिक चाहे तो कर्मचारी प्रतिनिधि संघ/संगठन की सहायता प्राप्त कर सकता है।

- शीर्ष समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुये अभ्यावेदनों पर राज्य शासन समुचित आदेश जारी करेगी।

- अंनतिम अन्तरण की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद राज्य शासन कार्मिकों के स्थायी अन्तरण एवं आमेलन (Transfer and Absorption) के संबंध में समुचित आदेश जारी करेगा।

- स्थायी अन्तरण के बाद भी राज्य शासन किसी भी कार्मिक को निश्चित कालावधि के लिये किसी अन्य कम्पनी अथवा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने का निर्देश दे सकता है।

शासन के उपरोक्त आदेश के उपरान्त भी वर्तमान में मण्डल में सम्पादित किये जा रहे कार्य एवं उनसे संबंधित विभाग यथावत् कार्य करते रहेंगे एवं उनमें कार्यरत कार्मिकों को, मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर माने–जाने हेतु आदेश अलग से जारी किया जायेगा।

समाचार क्रमांक 372/2010

जनसम्पर्क अधिकारी